श्री देवलाल गोचर , महामंत्री, राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन के संबंध में आयोजित बैठक दिनांक 19.04.2018 के संदर्भ में विभागीय टिप्पणी निम्नानुसार है:–

कसं	मॉग	प्रस्तावित कार्यवाही
01.	सातवे वेतनमान के विकल्प की तिथि को पुनः खोलने और इसमें GI तिथि को ही लिये जाने की अनिवार्य की गई बाध्यता को हटाये जाने के क्रम में।	मांग नीतिगत है।
02.	प्रयोगशाला सहायक से 1997 में शिक्षक बने कार्मिकों को उनके द्वारा वर्तमान में धारित पद के अनुसार वेतन निर्धारण किया जाये ना कि उनके द्वारा नियुक्ति के समय धारित पद के अनुसार। प्रयोगशाला सहायक से शिक्षक राज्य सरकार द्वारा राज्य हित में बनाये गये थे ना कि कार्मिक की इच्छानुसार। इनकी रिकवरी के आदेश हो गये है। इससे कर्मचारियों में रोष व्याप्त है जिससे सरकार द्वारा दिये गये सातवे वेतनमान के लाभों के सकारात्मक प्रभाव में कमी आई है।	मांग नीतिगत है।
03.	संगठन ने पर्याप्त समय रहते हुये ही राज्य सरकार को विभिन्न माध्यमों से आग्रह किया था की छठे वेतनमान में व्याप्त शिक्षकों की विभिन्न विसंगतियों को निवारण करने के पश्चात ही राज्य में सातवां वेतनमान लागू किया जाये। संगठन ने सामंत कमेटी को भी इस बारे में अवगत करा दिया गया था परन्तु ऐसा नहीं हुआ जिससे शिक्षक वर्ग में असंतोष व्याप्त है अतः सामंत कमेटी को निर्देशित किया जाये की संगठन द्वारा प्रेषित विसंगतियों यथा – 2007 के अध्यापक, वरि. अध्यापक का प्रारम्भिक वेतन, व्याख्याता वर्ग की वेतन कटौती, प्रयोगशाला सहायक से अध्यापक बने शिक्षकों की रिकवरी, प्रधानाचार्य की वेतन विसंगति सहित अन्य सभी विसंगतियों को तत्काल दूर किया जाये।	मांग नीतिगत है।
04.	राज्य में मध्यप्रदेश के समान नई पेंशन योजना को तत्काल प्रभाव से बन्द कर सभी कार्मिको के लिये पुरानी पेंशन योजना लागू कि जाये।	मांग नीतिगत है।
	संगठन के मांग पत्र पर तत्काल उच्च स्तरीय वार्ता आयोजित करवा कर सहमती के बिन्दुओं की समयबद्ध पालना सुनिश्चित कराई जाये	मांग नीतिगत है।

पंजीकृत संख्या 72/54–55 ।। वन्दे मातरम्।। Tel. 0141-2377799
Web site: www.rssrashtriya.org E- mail: rss.rashtriya@gmail.com

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

कार्यालय : 82, पटेल कॉलोनी, गवर्नमेन्ट प्रेस के पास, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर–302001
संरक्षक : सर्वश्री नानक कुन्दनानी, संतोष चन्द्र सुराणा, श्यामसुन्दर शर्मा, चौथमल सनाढ्य, राजनारायण शर्मा
(Regd. & Recognised by Govt. & Affiliated to ABRSM, AIPTF, AISTF, E.I. & RRKM)

प्रहलाद शर्मा	उमरावलाल वर्मा	देवलाल गोचर
अध्यक्ष	सभाध्यक्ष	महामंत्री
मो. 94140–56109	मो. 94148–52027	मो. 94144–03756

प्रेस–विज्ञप्ति

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के प्रतिनिधिमण्डल की शिक्षामंत्री के साथ वार्ता

जयपुर, दिनांक 19.04.2018। राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के प्रदेशाध्यक्ष श्री प्रहलाद शर्मा के नेतृत्व में संगठन के एक प्रतिनिधिमण्डल ने आज शासन सचिवालय जयपुर में शिक्षामंत्री श्री वासुदेव देवनानी के साथ संगठन के माँग पत्र एवं तात्कालिक विभागीय समस्याओं पर वार्ता की। सचिवालय के समिति कक्ष में शिक्षा विभाग के निमंत्रण पर आयोजित इस वार्ता में प्रमुख शासन सचिव श्री नरेशपाल गंगवार सहित वित्त, निदेशालय बीकानेर सहित अन्य विभागीय उच्चाधिकारी के साथ प्रदेश संगठनमंत्री महावीर सिंघल,प्रदेश उपाध्यक्ष नवीन शर्मा,प्रदेशमंत्री रवि आचार्य,प्रदेश महिला मंत्री अरूणा शर्मा उपस्थित थे।

प्रदेश मंत्री श्री रवि आचार्य ने वार्ता की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेशाध्यक्ष ने राज्य में लागू किये गए सातवें वेतनमान में पुनः विकल्प देने की सुविधा प्रदान करने एवं विकल्प तिथि वेतन वृद्धि तिथि को ही देने की अनिवार्यता को समाप्त करने की जरूरत बताते हुए सरकार द्वारा दिये गये पूर्व आश्वासनों के अनुरूप शिक्षकों के छठें वेतनमान में पे–बैण्ड एवं ग्रेड–पे की विसंगतियों को दूर कर इसे लागू नहीं किये जाने पर विरोध प्रकट करते हुए कहा कि इससे शिक्षकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। जिसके कारण शिक्षकों में भारी असन्तोष व आक्रोश व्याप्त है। अतः इन विसंगतियों को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार किये जाकर अभिशंषा सहित वित्त विभाग को प्रेषित किये जायें।

इसके साथ श्री शर्मा ने 2007 से 2009 में नियुक्त अध्यापक एवं प्रबोधक की वेतन निर्धारण विसंगति, वरिष्ठ अध्यापक की वेतन निर्धारण विसंगति, व्याख्याता/समकक्ष का वेतन 18750 रू.रखते हुये आगामी वेतन निर्धारण किये जाने,1997 में प्रयोगशाला सहायक से अध्यापक बने कार्मिकों का एसीपी निर्धारण इन्हें अध्यापक कैडर में मान कर करने की माँग मंत्री महोदय एवं अधिकारियों के समक्ष उठाई।

प्रदेश संगठन मंत्री श्री महावीर सिंहल ने राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण सेवा (R.V.R.S.) के कार्मिकों को पदोन्नति के अवसर प्रदान किये जाने एवं इन कार्मिको को पुरानी पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय लागू करने की पुरजोर माँग की।

प्रदेश महिला मंत्री अरूणा शर्मा ने मंत्री महोदय के समक्ष नवीन पेन्शन योजना को बन्द कर पुरानी पेन्शन योजना लागू करने, सभी वर्ग के शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति तिथि से ए.सी.पी. का लाभ दिये जाने, ग्रामीण भत्ता दिये जाने, नव –नियुक्त शिक्षकों हेतु मेडिक्लेम पॉलिसी सुविधा समयबद्व एवं व्यवस्थित करने, R.P. M. F. की कटौति तत्काल बन्द करने तथा शिक्षकों को अवकाश के दिन कार्य करने पर क्षतिपूर्ति अवकाश प्रदान किये जाने की माँग रखी।

प्रदेश उपाध्यक्ष नवीन शर्मा ने माननीय न्यायालय एवं R.T.E. अधिनियम के निर्देशानुसार शिक्षकों को समस्त गैर शैक्षणिक कार्यों यथा B.L.O. तथा वर्ष पर्यन्त निर्वाचन के नाम पर प्रतिनियुक्ति से पूर्णतया मुक्त किये जाने तथा समस्त श्रेणी के नव क्रमोन्नत विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं सहायक कर्मचारी के पदों का सृजन किये जाने की माँग उठाई। निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था लागू होने के कारण विद्यालय परिचालन के लिए छात्र कोष शुल्क का पुर्नभरण करने हेतु पर्याप्त बजट आवंटन किये जाने की माँग उठाई।

प्रदेश मंत्री रवि आचार्य ने वार्ता की जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिनिधि मण्डल ने विभागीय अधिकारियों के समक्ष वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016–18 में टीएसपी क्षेत्र के मूल निवासी किन्तु राज्य स्तरीय मेरिट से चयनित अभ्यर्थियों को टीएसपी क्षेत्र में ही काउन्सलिंग में शामिल करने, पूर्व में क्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी व हिन्दी व्याख्याता के पद स्वीकृत करने, प्राध्यापक परीक्षा 2015 में चयनित किन्तु आयु सीमा में छूट नहीं दिये जाने के कारण नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों को छूट के प्रस्ताव कार्मिक विभाग भिजवाने, वर्ष 2013–14 सहित प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयो के संस्था प्रधानो की रिव्यू डीपीसी करवाये जाने,शारीरिक शिक्षको ,पुस्तकालयध्यक्ष की डीपीसी करवाने,उप्रावि में शाशि पद में सख्या सीमा हटाने,स्टाफिंग पैटर्न की पुर्नसमीक्षा करवाने,प्रबोधको की पदोन्नति करने आदि की माँग उठाई।

शिक्षामंत्री श्री वासुदेव देवनानी एवं प्रमुख शासन सचिव श्री नरेशपाल गंगवार ने समस्याओ को गभ्भीरता से लेते हुए विभाग स्तरीय मॉगो के न्यायोचित पक्ष को ध्यान रखते हुए इनके तत्काल निराकरण के अधिकारियो को निर्देश दिये तथा वित्तीय मॉगो के प्रस्ताव बनाकर वित्त तथा कार्मिक विभाग में भिजवाने हेतु आश्वस्त किया। प्रयोगशाला सहायक से अध्यापक बने कार्मिको को अध्यापक कैडर में मानते हुए एसीपी का लाभ दिये जाने के विषय पर तत्काल कार्यवाही करते हुए सम्पूर्ण प्रकरण विभागीय अभिशंषा के साथ कार्मिक विभाग से अनुमोदित कराकर वित्त विभाग को भिजवाने, शारीरिक शिक्षको व पुस्तकालयध्यक्ष की डीपीसी शीघ्र करवाने, स्टाफिंग पैटर्न की जल्द

पुर्नसमीक्षा करवान,पीईईओ को आवश्यक संसाधन की उपलब्धता जल्द करने,एस एफ जी का अनुदान शीघ्र बढाने,विभागीय अधिकारियो के पदो को बढाये जाकर पदोन्नति के अवसर बढाने, पूर्व में क्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी व हिन्दी व्याख्याता के पद छात्र सख्या अनुसार स्वीकृत करने, प्राध्यापक परीक्षा 2015 में चयनित किन्तु आयु सीमा में शिथिलन प्रस्ताव तैयार कार्मिक विभाग से अनुमोदन उपरान्त नियुक्ति पर पदस्थापन कार्यवाही करवाने, वर्ष 2013–14 सहित प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय की रिव्यू डीपीसी करवाये जाने, राज्य स्तरीय मेरिट से चयनित अभ्यर्थियों को टीएसपी क्षेत्र में ही काउन्सलिंग में शामिल करने के प्रस्ताव राज लोक सेवा आयोग को भिजवाने, समस्त वेतन विसंगतियो के निराकरण हेतु विभागीय अभिशंषा के साथ वित्त विभाग को भिजवाने की सैदान्तिक सहमति दी।

भवदीय

(रवि आचार्य)
प्रदेश मंत्री